बिहार सरकार

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

अधिसूचना

संख्याः–9/आरोप (राज0) (उ0)–02–02/2012–3038/श्री अश्विनी कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, उत्पाद, नवादा सम्प्रति (मुख्यालय) के विरूद्ध विदेशी शराब/बीयर के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में उठाव नहीं होने से राजस्व की अपूरणीय क्षति, अनुज्ञप्तिधारी से मिली भगत कर निजी लाभ उठाना एवं कर्त्तव्य में शिथिलता एवं उच्चाधिकारी के निदेशों की अवहेलना आदि आरोप में विभागीय संकल्प संख्या–2498 दिनांक 22.05.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार, पटना ने अपने ज्ञापांक–271 दिनांक 18.05.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया है, जिसमें आरोप संख्या–01,02 एवं 03 को पूर्णतया प्रमाणित बतलाया गया।

3. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 3 के अंतर्गत विभागीय पत्रांक–2500 दिनांक 29.05.2015 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी।

4. पत्रांक–711 दिनांक 15.07.2015 द्वारा श्री कुमार द्वारा अपना द्वितीय बचाव बयान सपर्पित करने हेतु तथ्यों एवं सटिक आकड़े प्राप्त करने के लिए दो माह के समय की माँग की गई। विभागीय पत्रांक 3719 दिनांक 12.08.2015 द्वारा एक सप्ताह का समय निर्धारित करते हुए स्मारित किया गया, इसके बावजूद उनसे स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा है।

5. इसके अतिरिक्त इनके विरूद्ध अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, मुंगेर में फर्जी चालान के माध्यम से सरकारी राजस्व की हुई क्षति के लिये विभागीय संकल्प संख्या–335 दिनांक 19.01.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है, जो विभागीय जॉच आयुक्त के स्तर पर विचाराधीन है। उक्त मामले में उन्हें आर्थिक अपराध इकाई द्वारा गिरफ्तार भी किया गया था तथा इन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया था। इनके कार्यो की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि ये सरकारी कार्यो में नियमो के विरूद्ध कार्य करने हेतु आदतन प्रवृत्त रहे है। इनका आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 में परिभाषित कार्यो के प्रतिकूल रहा है।

6. ऐसी स्थिति में ऐसे सरकारी सेवक को सरकारी सेवा में बनाये रखने की आवश्यकता नही है। अतएव श्री कुमार को वृहद दण्ड के रूप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 14 (xi) के अंतर्गत सेवा से वर्खास्त करने का निर्णय लिया गया।

7. विभागीय पत्रांक–1006 दिनांक 24.02.2016 द्वारा श्री अश्विनी कुमार, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, नवादा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित के नियम 14 (xi) के अंतर्गत सेवा से बर्खास्त करने हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श/अभिमत की मांग की गयी।

8. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–560 दिनांक 20.05.2016 द्वारा उक्त प्रस्ताव के विचारार्थ दिनांक 13.04.2016 को सम्पन्न आयोग की पूर्ण पीठ की बैठक में सम्यक विचारोपरांत आयोग द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव में सहमति व्यक्त की गयी है।

9. अतएव पूर्ण विचारोपरांत राज्य सरकार के निर्णयानुसार श्री अश्विनी कुमार, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, नवादा सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में (मुख्यालय) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित के नियम 14 (Xi) के अंतर्गत सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

10. इसमे सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

27/6/16

(अभय राज)
सरकार के विशेष सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–9/आरोप (राज0) (उ0)–02–02/2012 – 3038 पटना, दिनांकः– 28/6/2016

प्रतिलिपिः–अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग ई–गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

27/6/16

सरकार के विशेष सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–9/आरोप (राज0) (उ0)–02–02/2012 – 3038 पटना, दिनांकः– 28/6/2016

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–9/आरोप (राज0) (उ0)–02–02/2012 – 3038 पटना, दिनांकः– 28/6/2016

प्रतिलिपिः–विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार, पटना/बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/माननीय मंत्री, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, के निजी सहायक/आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी उपायुक्त उत्पाद/सभी अधीक्षक उत्पाद/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को दिनांक 16.06.2016 को मद संख्या–28 के रूप में स्वीकृत प्रस्ताव में आलोक में/कोषागार पदाधिकारी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं श्री अश्विनी कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, उत्पाद, नवादा सम्प्रति (मुख्यालय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/6/16

सरकार के विशेष सचिव
बिहार, पटना।

27/6/16